प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि जोनल ऑफिस ने देश भर में चल रहे नकली चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध चार व्यक्तियों के नाम हैं (1) डैनियल सेल्वाकुमार, मेसर्स जोदुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर; (2) मेसर्स अप्रीकीवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एलन सैमुअल, (3) मेसर्स ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के प्रोपराइटर एंटो पॉल प्रकाश और मेसर्स सोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और (4) मेसर्स फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरवन रवि को 30.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

यह मामला केरल और हरियाणा में पीड़ितों द्वारा दर्ज 11 एफआईआर से उत्पन्न हुआ है लोन ऐप संचालक अपने लोन ऐप को इंस्टॉल करते समय पीड़ितों के मोबाइल फोन से हैक किए गए निजी डेटा का उपयोग करके ब्लैकमेल करते थे। जांच से पता चला है कि इस तरह की जबरन वसूली की गई आय को फर्जी संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता था और अंततः सामान्य बैंकिंग चैनलों और मेसर्स निम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक वैश्विक धन प्रेषण सुविधा कंपनी), सिंगापुर की मेसर्स निम पीटीई लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से सॉफ्टवेयर/डिजिटल सेवाओं/टूर सेवाओं के नकली आयात की आड़ में भारत के बाहर भेज दिया जाता था।

ईडी की जांच से पता चला कि सिंगापुर के एक नागरिक के निर्देश पर, सभी संदिग्धों ने फर्जी ऐप लोन घोटाले के माध्यम से उत्पन्न 230.92 करोड़ रुपये की अपराध की आय के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारत में 400 से अधिक अवैध खातों में एकत्र किए गए और इस तरह की आय को उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के माध्यम से सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया।

ईडी ने अपराध की आय और उसके सबूतों का पता लगाने के लिए फरवरी 2024 में मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में 10 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे। तलाशी कार्यवाही के दौरान, विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 123.58 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की गई।

इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार व्यक्तियों ने वैश्विक प्रेषण कंपनी मेसर्स नियुम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल का दुरुपयोग किया। जांच से पता चला कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रेषण इकाई द्वारा फॉर्म 15सीए/सीबी जैसी विभिन्न रिपोर्टिंग को दरकिनार करते हुए मैसर्स नियुम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल का उपयोग करके अभियुक्तों द्वारा 1677 करोड़ रुपये की भारी राशि प्रेषित की गई थी। इस प्रकार, जांच में मेसर्स नियुम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बड़ी चूक का भी पता चला।

आगे की जांच प्रगति पर है।